न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
209/2020	07–10–2020	17/05/22

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

----:: वादी

बनाम

01. मेहरसिंह पुत्र कमला जाति मेव निवासी ग्राम मुसारी तहसील तिजारा जिला अलवर
02. संजय बेसल पुत्र जिलेसिंह जाति गुर्जर निवासी जे. 68 सैक्टर अल्का–2 ग्रेटर नोयडा जिला जी.वी. नगर यू.पी.
03. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। योगेश शर्मा को विवादित आराजी के संबंध में पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी की ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की संयुक्त कब्जे काश्त शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में वादी कम्पनी का 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा है। जिस पर वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 मुताबिक अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है। रिकार्ड में शामलात राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 अपने अपने हिस्से के अनुरूप मौके पर उक्त आराजी पर काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे है। हर इंच पर हर हिस्सेदार का हिस्सा है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से चन्द्रभान शर्मा अधिवक्ता ने यू.टी. दी गई। शेष प्रतिवादी संख्या 2 अनुपस्थित इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। वादी वकील ने वाद को प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 09–12–2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई।

उपखण्ड अधिकारी

... /2022/5050 दिनांक 04-04-2022 के द्वारा प्रकरण ... ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिक्री किये जाने हेतु निवेदन ... किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

... फाईनल डिक्री किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 0.06 ... ग्राम मितियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार अ वि व जर्ये डायरेक्टर दीपक गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता महाजन सा0 सैक्टर 17 फरीदाबाद हरियाणा	375	0.03	बारानी 2	0.12
02.	मेहरदीन पुत्र कमला हि0 1/2 मेव सा. मुसारी खातेदार संजय बंसल पुत्र जिले सिंह हि0 1/2 गुर्जर सा. जी-68 सैक्टर अल्फा-2 ग्रेटर नोयडा जिला जी.बी. नगर यू.पी. खातेदार	375/1	0.03	बारानी 2	0.12

तकसीम शुदा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

तारीख दायर 07-05-2020 | तारीख फैसला 12/05/22

बनाम

01 शम्भूनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दीपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री हरिकिशन शर्मा

———:: वादी

बनाम

01 मेहरदीन पुत्र कमला जाति मेव निवासी ग्राम मुसारी तहसील तिजारा जिला अलवर

02 संजय बंसल पुत्र जिलेसिंह जाति गुर्जर निवासी जे 68 सैक्टर अल्का–2 ग्रेटर नोयडा जिला जी.वी. नगर यू.पी.

03 श्रीमान तहसीलदार साहब बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिक्री ::–

हाल आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) का फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार अ वि व जर्ये डायरेक्टर दीपक गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता महाजन सा0 सैक्टर 17 फरीदाबाद हरियाणा	375	0.03	बारानी 2	0.12
02	मेहरदीन पुत्र कमला हि0 1/2 मेव सा. मुसारी खातेदार संजय बंसल पुत्र जिले सिंह हि0 1/2 गुर्जर सा. जी–68 सैक्टर अल्का–2 ग्रेटर नोयडा जिला जी.वी. नगर यू.पी. खातेदार	375/1	0.03	बारानी 2	0.12

तकसीम शुदा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0